निर्देश सं. 70

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग

17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली -110001

फा.सं. ए-110018/01/2021-सीएक्यूएम/420 **दिनांक: 30 नवंबर, 2022**

विषय: सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण कम करना – डीजल चालित ऑटो रिक्शा पर विनियमन |

1. जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित)|

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियाँ दी गयी हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करें, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझें |

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2)(xi) आयोग को अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति,अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देश दे और ऐसे व्यक्ति ,अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे|

4.जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन/परिवहन क्षेत्र वायु प्रदूषण के प्रमुख एवं निरंतर स्रोतों में से एक है और अन्य वायु प्रदूषकों के अलावा पीएम 2.5 स्तर में प्रतिकूल योगदान देता है |

5.जबकि, पूरा एनसीआर तेजी से मोटराइजेशन की चपेट में है और एनसीआर में जनसंख्या वृद्धि और मानवजनित गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने और वाहनों के उत्सर्जन की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

6.जबकि, ऑटोरिक्शा परिवहन का एक पसंदीदा किफायती तरीका है, ये पार्टिकुलेट मैटर (निलंबित कणों के) उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं और एनसीटी दिल्ली में सभी ऑटोरिक्शा पहले से ही लिए गये निर्णय के अनुसार सीएनजी ईंधन / बिजली से चलाये जाने अनिवार्य हैं । अभी भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में डीजल ईंधन वाले ऑटोरिक्शा चल रहे हैं|

7.जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2022 में आयोग द्वारा समावेशी नीति तैयार एवं प्रसारित की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में निम्नवत नियत करती है -:

i. 01.01.2023 से पूरे एन सी आर में केवल सी एन जी/ इलेक्ट्रिक नये ऑटो का पंजीकरण |
ii. 31.12.2026 तक एन सी आर में श्रेणी बध्द तरीके से डीजल ऑटो रिक्शा को पूरी तरह से बाहर करना |

8. जबकि, विभिन्न हितधारक एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे उपर्युक्त नीति दस्तावेज का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन और प्रवर्तन करें जो कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में व्यापक प्रचार –प्रसार और जानकारी के लिए उपलब्ध है |

9.अब इसलिए, आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाली ऑटोरिक्शा से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश देता है कि:

i. हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि पूरे एन सी आर में 01-01-2023 से केवल सी एन जी/ बिजली से चलने वाले ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन किये जाए |

ii. हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारें डीजल ऑटोरिक्शा को पूरी तहर से बंद करने के लिए निम्नवत समावेशी कार्य योजना बनाएगी और उसे सुनिश्चित करेगी |

(क) गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले अधिक से अधिक, 31.12.2024 तक

(ख) एन सी आर में सोनीपत, रोहतक, झज्जर और बागपत जिले अधिक से अधिक, 31.12.2025 तक और;

(ग) एनसीआर में अन्य सभी जिले, अधिक से अधिक, 31.12.2026 तक इस प्रकार, एनसीआर में चलने वाले सभी ऑटोरिक्शा हेतु लक्ष्य है कि 01-01-2027 तक सीएनजी/बिजली से चलने चाहिए।

10. उपर्युक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रो में वायु गुणवता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

हस्ता o
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
ई-मेल-: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में ,

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, उ.प्र. सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001

2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथा तल, सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़

3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान - 302005

प्रतिलिपि -:

i. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग,उ.प्र. सरकार लखनऊ।
ii. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
iii. प्रधान. सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि -:

1. अध्यक्ष
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी-11, सेक्टर -6, पंचकुला, हरियाणा – 134109

2. अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बिल्डिंग सं. टीसी-12 वी
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

3. अध्यक्ष
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 4, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया
झालाना डूंगरी, जयपुर- 302004 (राजस्थान)

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
ई-मेल-: arvind.nautiyal@gov.in